	post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) :—** 1. Plant Protection, Adviser to the Government of India —Chairman 2. Chief Administrative Officer —Member 3. A Group 'A' officer from an outside office —Member 4. Joint Director (Chemistry) (preferably of the Division concerned) —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Conslutation with Union Public Service Commission while appointing a person on deputation (including short term contract) and while amending and relaxing any provision of these rules.

[F. No. 13-6/99-PP.II]

SATWANT SINGH, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2004

सा. का. नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (चालक) भर्ती नियम 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी, स्टाफ कार चालक श्रेणी-II, स्टाफ कार चालक श्रेणी-I, स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (चालक) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	:	**स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी**
2. पदों की संख्या	:	07* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	3050-75-3950-80-4590/- रु.
5. चयन-सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	21-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकती है।) **टिप्पणी 1 :**—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचना के अनुसार शिथिलनीय। **टिप्पणी 2 :**—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आयु शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिलनीय। **टिप्पण 3 :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पणी 4 :**—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	**आवश्यक :** (i) भारी यानों के लिए विधिमान्य मोटर चालन की अनुज्ञप्ति होनी चाहिये (ii) मोटर यांत्रिकी का कार्य साधक ज्ञान (iii) 8वीं स्तर उत्तीर्ण (iv) हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का कार्य साधक ज्ञान **वांछनीय :** मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। **टिप्पणी:**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	सीधी भर्ती द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	:	**चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति :—** 1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला जो केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला के निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिकी) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला —सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान-शाला —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।

2. 1. : **स्टाफ कार चालक श्रेणी-II**

2. : 07* (2004)
   * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : 4000-100-6000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : लागू नहीं होता

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : प्रोन्नति द्वारा

12. : **प्रोन्नति :** निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए ऐसे स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी, जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है :—

(1) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में अवश्य समर्थ होना चाहिए।

(2) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

(3) खराबियां ढूंढ़ने और चालन संबंधी छोटी-छोटी मरम्मत करने में अवश्य समर्थ होना चाहिए।

(4) पहिया बदलने और टायरों में सही-सही हवा भरने में अवश्य समर्थ होना चाहिए।

(5) उपरोक्त पर आधारित व्यवहारिक परीक्षण।

टिप्पण : केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में ऐसे स्टाफ कार चालक के संबंध में जिन्होंने कम से कम नौ वर्ष सेवा की है (जिनके अंतर्गत ऐसे चालक भी आते हैं जिनको पन्द्रह वर्ष की सेवा करने पर भी पदों की कमी के कारण श्रेणी-I में

समायोजित नहीं किया जा सका था) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता और व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने के अधीन रहते हुए स्टाफ कार चालक के पद पर आरंभिक नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

13 : **विभागीय प्रोन्नति समिति :—**

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे (जो केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला के निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए) —अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिकी) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

---

3. 1. : **स्टाफ कार चालक श्रेणी-I**

2. : 07* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : 4500-125-7000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : नहीं

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : प्रोन्नति द्वारा।

12. : **प्रोन्नति :** निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-II, जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की है :—

(1) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में अवश्य समर्थ होना चाहिए।

(2) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

(3) पेट्रोल और डीज़ल इंजन के कार्यकरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और खराबियों को ढूंढ़ने तथा चालन संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए।

(4) कार्बुरेटरों, प्लग आदि साफ करने में समर्थ होना चाहिए।

(5) उपरोक्त पर आधारित व्यवहारिक परीक्षण।

टिप्पण : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर के संबंध में जिन्होंने पन्द्रह वर्ष से कम सेवा नहीं की है इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पदों की उपलब्धता की सीमा तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता और व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के आधार पर उपयुक्त पाए जाने के अध्यधीन रहते हुए इस पद पर सीधे आरंभिक नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

13 : **विभागीय प्रोन्नति समिति :—**

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे (जो केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला के निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए) —अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिकी) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य

3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

4\. 1. : **स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी**

2\. : 01* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3\. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4\. : 5000-150-8000 रु.

5\. : अचयन

6\. : लागू नहीं होता

7\. : लागू नहीं होता

8\. : लागू नहीं होता

9\. : लागू नहीं होता

10\. : लागू नहीं होता

11\. : प्रोन्नति द्वारा।

12\. : **प्रोन्नति** : ऐसा स्टाफ कार चालक श्रेणी-I, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

13\. : **विभागीय प्रोन्नति समिति** :—

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे (जो केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला के निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय) —अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिकी) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य

14 : लागू नहीं होता।

[सं. 2004/फा. सं. 2/(2)/2002-स्था.-II]

गोपाल दास, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd March, 2004

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxillary Technical Services (Drivers) Recruitment Rules, 1999, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver Special Grade, Staff Car Drivers Grade-I, Staff Car Driver Grade-II, Staff Car Driver Ordinary Grade in the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1\. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune. Auxillary Technical Services (Drivers) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2\. **Number or posts, classification and scales of pay.**—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3\. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4\. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. 1. Name of post	:	**Staff Car Driver Ordinary Grade**
2. Number of posts	:	07* (2004) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	:	Rs. 3050-75-3950-80-4590.
5. Whether selection Post or Non-Selection Post	:	Not applicable.
6. Age limit for direct recruits	:	21-25 years. (Relaxable for Government Servants.upto Forty years in case of General candidates and Forty-five years in case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. **Note 2 :** Relaxable cumulatively with any other age relaxation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. **Note 3 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 4 :** In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	No
8. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**ESSENTIAL :** (i) Must possess a valid motor driving licence for heavy vehicles.

(ii) Working knowledge of Motor Mechanism

(iii) VIIIth Standard pass.

(iv) working knowledge of Hindi or English.

Desirable : Matriculation or equivalent.

Note : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable.

10. Period of probation if any : Two years

11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods : By direct recruitment

12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made : Not applicable

13. If a Board of Assessment/Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Selection Committee/Departmental Promotion Committee :-**

1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Chairman
2. Executive Engineer (Civil/Mechanical) Central Water and Power Research Station —Member
3. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer/ Central Water and Power Research Station —Member
4. An Officer not below the rank of Under Secretary, Government of India belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category —Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : Not applicable.

2\. 1. : **Staff Car Driver Grade II**

2. : 07* (2004)

*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

4. : Rs. 4000-100-6000.

5. : Not applicable.

436 GI/04 - 12

6. : Not applicable

7. : No

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By Promotion

12. : **Promotion :**

Staff Car Drivers Ordinary Grade with nine years regular service in the grade subject to passing of Trade Test based on the following syllabus:—

(i) Must be able to read English Numerals and figures.

(ii) Must have good knowledge of Traffic Regulation.

(iii) Must be able to locate faults and carry out minor running repairs.

(iv) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.

(v) Practical test based on above.

Note: Staff car Drivers in Central Water and Power Research Station, Pune who have rendered not less than nine years of service (including those who could not be accomodated in Grade-I in spite of putting in fifteen years of service, for want of posts), shall be considered for initial appointment on the date of commencement of these rules to the post of Staff Car Driver Grade-II subject to being found fit by Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-fitness and passing of Trade Test

13. : **Selection Comittee/Departmental Promotion Committee :**

1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Chairman

2. Executive Engineer (Civil/Mechanical) Central Water and Power Research Station —Member

3. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer/ Central Water and Power Research Station —Member

4. An Officer not below the rank of Under Secretary, Government of India belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category —Member

14. : Not applicable.

---

3. 1. : **Staff Car Driver Grade I**

2. : 07* 2004

*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

4. : Rs. 4500-125-7000.

5. : Non Selection

6. : Not applicable

7. : No

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By Promotion

12. : **Promotion :**

Staff Car Drivers Grade II with six years regular service in the grade subject to passing of Trade Test based on the following syllabus:-

(i) Must be able to read English Numerals and figures.

(ii) Must have good knowledge of Traffic Regulation.

(iii) Must have good knowledge of Petrol and diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.

(iv) Must be able to clear carburetor, plug etc..

(v) Practical test based on above.

Note: Staff car Drivers who have rendered not less than fifteen years of service shall be considered for initial appointment on the date of commencement of these rules to this post direct to the extent of availability of posts subject to being found fit by Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-fitness and passing of Trade Test.

13. : **Selection Comittee/Departmental Promotion Committee :–**

1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station)	—Chairman
2. Executive Engineer (Civil/Mechanical) Central Water and Power Research Station	—Member
3. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer/ Central Water and Power Research Station	—Member
4. An Officer not below the rank of Under Secretary, Government of India belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category	—Member

14. : Not applicable.

---

4. 1. : **Staff Car Driver Special Grade**

2. : 1*2004
*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

4. : Rs. 5000-150-8000.

5. : Non Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable.

10. : Not applicable

11. : By Promotion

12. : **Promotion :**

Staff Car Drivers Grade I with three years regular service in the grade.

13.	: **Departmental Promotion Committee Group 'C' :—**	
	1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station)	—Chairman
	2. Executive Engineer (Civil/Mechanical) Central Water and Power Research Station	—Member
	3. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer/ Central Water and Power Research Station	—Member
	4. An Officer not below the rank of Under Secretary, Government of India belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category	—Member
14.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

[No. 2004/F. No. 2/(2)/2002-Estt. II]

GOPAL DASS, Under Secy.

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) भर्ती नियम, 2003 का जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 5 जुलाई, 2003 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247, तारीख 4 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ (12) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

''प्रोन्नति :

(i) पचहत्तर प्रतिशत 3050-75-3950-80-4590 रुपए के वेतनमान में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है,

(ii) साढ़े बारह प्रतिशत 3050-75-3950-80-4590 रुपए के वेतनमान में ऐसे रिपोर्ट लेखक की प्रोन्नति द्वारा, जो मैट्रिक पास या समतुल्य हैं :

परन्तु यह कि ऐसा कोई रिपोर्ट लेखक, जो 3050-75-3950-80-4590 रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए प्रतीक्षारत ज्येष्ठतम अवर श्रेणी लिपिक से कनिष्ठ है उसे ऐसे अवर श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति से पहले प्रोन्नत नहीं किया जाएगा;

(iii) साढ़े बारह प्रतिशत मुद्रण निदेशालय शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2002 के उपबन्धों के अनुसार प्रतियोगिता लिखित परीक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जो अवर श्रेणी लिपिक या रिपोर्ट लेखक का पद धारण किए हुए हैं और मैट्रिक पास है तथा जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में तीन वर्ष नियमित और निरन्तर सेवा की है।''

[फा. सं. 22/5/2003-ए आई]

बी. बी. सिंह, अपर निदेशक (प्रशासन)